रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 656] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 730(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27.2.2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 641(अ) (जिसे अब से राजपत्र अधिसूचना कहा जाएगा) के पैरा 3 की प्रविष्टि:—

"3. यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।" के स्थान पर

पढ़ा जाए:

"3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।"

2. अधिसूचना की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी।

[फा. सं. जे-11014/05/2016-एनएसएपी (भाग-II) (351646)]
सुधाकर शुक्ला, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 730(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Rural Development, dated 27th February, 2017 bearing S.O. 641(E), and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) (hereinafter referred as Gazette Notification) in Para 3, the entry namely:—

"3.This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir"

Shall be read as:

"3.This Notification shall come into effect from the date of its publication in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir."

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. J-11014/05/2016-NSAP (Part-II) (351646)]
SUDHAKER SHUKLA, Economic Adviser

1231 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 573] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 641(अ).– सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात रा.सा.स.का. स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात:-

1. (1) रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

   (2) रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति ने यदि आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उसे 01.04.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, और

ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम के भारसाधक ग्रामीण विकास विभाग या कोई अन्य भारसाधक विभाग, जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव को आधार देने की अपेक्षा है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केंद्र क्रमशः ब्लॉक, तालुक, तहसील पर अवस्थित नहीं है, उक्त ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम का भारसाधक यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या समुचित यूआईडीएआई रजिस्ट्रार द्वारा आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी:

परंतु जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुदेशित किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, अर्थातः-

(क) (i) यदि वह नामांकित है, उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. (1) फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थातः-

(2) फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार और ब्लॉक कार्यालयों या ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में ही नामांकित नहीं हैं तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(3) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम के भारसाधक विभाग या कोई अन्य भारसाधक विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर

नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे, जैसे अपने ब्लॉक आफिस या ग्राम पंचायत या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा.सं. जे-11014/05/2016-एनएसएपी(भाग- II)]
प्रशांत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 641(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to provide one's identity;

And whereas, the National Social Assistance Programme(hereinafter referred to as NSAP) scheme, under the Ministry of Rural Development involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of benefit under NSAP scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of getting benefit under NSAP scheme not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 01.04.2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment Centres (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations,2016, the Department of Rural Development or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment Centre located in the respective Block, Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administration may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefits under the NSAP scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a). (i). if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii). a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Any of the following documents, namely:—

(i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or(ii). Ration Card, or (iii). Bank passbook with photo; or (iv). The Permanent Account Number(PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v). the Passport; or(vi). The driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988); or (vii). The certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or aTehsildar on an official letter head; or (viii) the Kisan Photo Passbook; or (ix). MGNREGA Card, or(X) any other document specified by the State Governments/UT Administration.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by department (in-charge of NSAP scheme) in the State Government or UT Administration for that purpose.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Department of Rural Development, or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administrations, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(2) Wide publicity through media and individual notices through the Block Offices or Gram Panchayat shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment Centre available in their areas. In case they are not already enrolled, the list of locally available enrolment Centre shall made available to them.

(3). In case, beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment Centre in the respective Block, Taluk or Tehsil, the Department of Rural Development, or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administrations are required to create enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details as specified in the proviso to sub-para (3) of paragraph 1 such as address mobile number with their Block Office or Gram Panchayat or through the web portal provided for that purpose

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories except State of Jammu and Kashmir.

[F. No. J-11014/05/2016-NSAP(Part-II) (351646)]

PRASANT KUMAR, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.